फर्द अहकाम
नियम– 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी भादरा मुकाम भादरा

लियाकत खां बनाम **साबिरा आदि**

किस्म मुकदमा :– 212 आरटीएक्ट मुकदमा नम्बर :– 98 /2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
08.09.2025	आज यह स्थगन प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पर सिगेदार की रिपोर्ट होने के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेज तथा शपथ पत्र प्रार्थीगण से सन्तुष्ट होकर आगामी पेशी तक उभयपक्ष के विरूद्व इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थी संख्या 1 विवादित रकबा रोही मौजा ढाणीखोखरान के खाता संख्या 64/64 के खसरा संख्या 38 की 2.4920 है0 व खसरा संख्या 39 की 2.3400 है0 बारानी कुल खसरा 2 की 4.8320 है0 भूमि को प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण रहन, बैंय या अन्य किसी तरीके से अन्तरित न करें व मौका की यथास्थिति बनायें रखे। वकील प्रार्थी तामिल हेतु 7 दिवस में रजिस्टर्ड डाक की रसीद पेश करे एव आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करे अन्यथा अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी। इस सम्बध में अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का उज्र ऐतराज हो तो असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करे। अप्रार्थी की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस से तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 08.10.2025 को पेश हो।	
8/10/25	वकील उभयपक्ष उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 की ओर से श्री धर्मपाल बेरवाल द्वारा वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना-पत्र पेश। किया नकल दिलाई प्रा. प. किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के पिता के नाम से दर्ज है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। परन्तु न्यायालय द्वारा अस्थाई स्थगन आदेश जारी होने के कारण विरासतन नामान्तरकरण दर्ज नहीं हो पा रहा। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि वादग्रस्त भूमि	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2026.05.07 11:58:38 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
2/4/26	वकील अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज पेशी से ली गई। वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्रावली के त्वरित सुनवाई हेतु आज की पेशी से लेकर सुनवाई हेतु निवेदन किया। वकील प्रार्थी को नोटिस करवाया गया। वकील अप्रार्थी निवेदन पर पत्रावली में आगामी सुनवाई दिनांक तय की जाकर दिनांक 10/4/26 दोनों पक्षकारों को नोट करवाई गई। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 10/4/2026 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
10/4/26	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी प्रार्थना पत्र 212 RT एक्ट साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है जो निर्णय अलग से लिखवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2026.05.07 11:58:38 IST
Reason: SelfAttested